संख्याः –225 / 11–2008–04(24) / 2006

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग — देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी, 2008

विषयः– केन्द्रपुरोनिधानित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत 898 एकल / सामुदायिक नई लघु सिंचाई योजनाओं हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1159 / ल0सिं0 / ए0आई0बी0पी0 / मा0नि0 / 2007–08 दिनांक 27.12.2007 एवं शासन के पत्र सं0 1340 / 11–2007–04 (24) / 2006 दिनांक 13.11.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न बी0एम0–15 के कालम–05 पर अंकित लेखाशीर्षकों के लिए संलग्नक में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 8443.00 लाख (रूपये चौरासी करोड़ तैतालीस लाख मात्र) की धनराशि आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिए स्वीकृत 898 नयी योजनाओं हेतु व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1144 / 11–2007–04(24) / 2006 दिनांक 04.10.2007 में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल ,वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर / कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः..........2

7– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग निर्धारित समयान्तर्गत तक कर लिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।

10– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट/साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत सहित सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित हो।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90 प्रतिशत के0स0), 0104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना, 24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा सलग्न पुनर्विनियोग के कालम–01 की बचतों से वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–381(P)/वि0 अनु0–4/2008 दिनांक 20 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या – 225/II–2008–04(24)/2006/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2 महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3 वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
4 श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6 निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
7 अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
9 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, राजिवालय परिसर, देहरादून।
10 बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय राजिवालय परिसर, देहरादून।
11 गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

<u>आय–व्ययक प्रपत्र–15</u>

नियंत्रक अधिकारी–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, ल०सि०वि०, उत्तराखण्ड
अनुदान संख्या–20

वित्तीय वर्ष 2007–08

प्रशासनिक विभाग:– लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
(आयोजनागत)

(धनराशि लाख रु0 में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 12/07 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
4700– मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 05–सिंचाई विभाग की नयी योजनायें 800– अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 95–ए०आई०बी०पी० की सिंचाई योजनायें 24–वृहत निर्माण कार्य 22000.00	1255.56	10744.44	10000.00	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 8104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना (90 प्रतिशत के०स०) 24–वृहत निर्माण कार्य– 8443.00	19943.00		दिनांक 18.10.2007को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सिंचाई विभाग हेतु ए०आई०बी०पी० मद में प्राविधानित बजट में से रू0 100.00 करोड़ की धनराशि लघु सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाय। उक्त निर्णय के अनुक्रम में लघु सिंचाई विभाग को फिलहाल रू0 84.43 करोड़ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई विभाग के ए०आई०बी०पी० मद से रू0 84.43 करोड़ की धनराशि लघु सिंचाई विभाग के ए०आई०बी०पी० मद में पुनर्विनियोग कराना आवश्यक है।
योग 22000.00	1255.56	10744.44	10000.00	8443.00	19943.00		

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट अनुमान परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है ।

(एस०एस० टोलिया)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या:– 3814 वि0अनु0–4 / 2007–08
देहरादून दिनांक २८ जनवरी, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

सेवा में,

महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2– समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।